



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124286

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17746 वर्ष 2026

कुशल प्रताप सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : मो. अरशद

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मो. अरशद और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री हिमांशु कुमार को सुना गया। हालाँकि, पुलिस द्वारा 21.05.2026 को प्रथम सूचनाकर्ता को नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को पुलिस थाना- गांधी पार्क, जिला अलीगढ़ में मु.अ.सं. (गुफ्तमा अपराध संख्या) 113 वर्ष 2026, बीएनएस की धारा 65(2), 351(3) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(एल)/6 के तहत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफआईआर घटना के दो महीने बाद दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, हालांकि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीड़िता ने धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में पिछले दो वर्षों से आवेदक द्वारा उसके साथ बलात्कार की कहानी दोहराई और घटना की जानकारी मां को तब दी गई जब मासिक धर्म चक्र में गड़बड़ी के कारण मां को पीड़िता पर संदेह हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है क्योंकि पीड़िता ने स्वयं चिकित्सा परीक्षण (मेडिकल जांच) कराने से इनकार कर दिया, जिससे आवेदक द्वारा बलात्कार के आरोपों का निर्धारण हो सकता था। आवेदक एक छात्र है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए, हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 31.03.2026 से जेल में बंद है। यदि उस जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी के साथ-साथ पीड़िता द्वारा स्वयं चिकित्सा परीक्षण से इनकार करने के उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर लगभग दो महीने की देरी के बाद दर्ज की गई थी, हालांकि पीड़िता ने स्वीकार किया कि आवेदक ने पिछले दो वर्षों तक बलात्कार किया था लेकिन उसने चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार कर दिया, जो अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करता है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो **2025** एससीसी ऑनलाइन एससी **3038** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश तथा जमानत देने के संबंध में माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो **2024** एससीसी ऑनलाइन ऑल **6765** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- कुशल प्रताप सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति का कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के घटित होने में शामिल नहीं होगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
8. बंधपत्रों को स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने की नीति रणनीति, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 जिसका निर्णय 31.01.2023 को हुआ और (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, साथ ही पीला पाहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025 जिसका निर्णय 29.05.2026 को हुआ, के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से अलीगढ़ जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

12. प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

जून 1, 2026

ए.के.आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"